यालय तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला-अजमेर

मुकदमा नं. ~~62~~ 61 /2019

किस्म मुकदमा अन्तर्गत् धारा 91
राज. भू राजस्व अधि. 1956

ान

सरकार जरिये प0ह0 ......करकेडी A...... बंनाम श्री ......[illegible]......

~~पुत्र श्री~~ ......[illegible]...... जाति ......[illegible]......

निवासी ......करकेडी......

निर्णय दिनांक 26 / 4 /2019

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल से लायी जाती है। अतः मामला एक पक्षीय निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम ......करकेडी...... के आराजी खसरा नं. ......781...... किस्म ......नाला...... रकबा ......0-80 है....... पर ......[illegible]...... ...... कर सम्वत् ......2076 खरीफ...... में कब्जा कर लिया जिसकी रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत् 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया ।

अप्रार्थी बावजूद सूचना के भी गैर हाजिर रहे, नही उनकी और से कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित हुए। स्पष्ट है कि इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते है।

अतः अप्रार्थी को ग्राम ......करकेडी...... की आराजी खसरा नं. ......781...... किस्म ......नाला...... रकबा ......0-80 है....... से बेदखल किया जाता है तथा लगान ......1-20...... का ......50...... गुणा ......60/-...... रूपये जुर्माना किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी ~~हल्का प्रश्नगत आराजी पर खड़ी फसल को निलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।~~

पटवारी /टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करें तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

तहसीलदार
रूपनगढ़ (अजमेर)
तहसीलदार
रूपनगढ़ (जिला-अजमेर)

वर्ष 2019-20 ......[illegible]...... 51 ......60/-...... कायमी की गई। 30/4/19 तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Singh Rajawat
Date: 2019.12.05 12:39:02 IST
Reason: SelfAttested